



मानवता परिवार

"आपका सहयोग, परिवार का सहारा..."

पत्राक- MP/DO-1/2024-25

दिनांक-22/12/2024

मानवता परिवार समाज की मानवता के लिए समाज का, समाज के द्वारा, समाज के लिए जुड़े हुए सदस्यों का परिवार है जिसमें सदस्य की असामायिक/आकस्मिक मृत्यु होने, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट होने पर उसके एवं उसके परिवार के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहायता पहुंचाकर मदद करने हेतु बनाया गया परिवार है।

मानवता परिवार का उद्देश्य मानवता परिवार के वैधानिक दिवंगत सदस्य के नामिनी के खाते में मानवता परिवार के सभी सदस्य मिलकर मानवता परिवार द्वारा निर्धारित धनराशि एवं समयावधि में सहयोग करके नॉमिनी के खाते में 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

वैधानिक सदस्य की परमानेंट 100% डिसेबिलिटी होने पर मानवता परिवार के सभी सदस्य मिलकर मानवता परिवार द्वारा निर्धारित धनराशि एवं समय अवधि में सहयोग करके सदस्य एवं उसके परिवार के नॉमिनी के खाते में 50 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

वैधानिक सदस्य की गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट में मानवता परिवार के सभी सदस्य मिलकर मानवता परिवार द्वारा निर्धारित धनराशि एवं समय अवधि में सहयोग करके सदस्य एवं उसके परिवार के नॉमिनी के खाते में 10 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराना।

सदस्यता शुल्क ₹200 पर ₹ 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इलाज उपलब्ध कराना।

मानवता परिवार में उत्तर प्रदेश के 18 से 62 आयु वर्ग के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट कर्मी, संविदा कर्मी: प्राइवेट स्कूल, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, कॉरपोरेट सेक्टर के प्राइवेट कर्मी, बिजनेसमैन, छात्र, ग्रहणी, किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यवसाय कर्मी, एडवोकेट पत्रकार आदि सभी जुड़ सकते हैं।

मानवता परिवार की स्थापना 5 सितंबर 2024 को समाज के द्वारा समाज के लिए समाज के सहयोग हेतु बनाई गई पूरे देश में कार्य करने वाला पहला परिवार है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही।

मानवता परिवार में वेबसाइट www.manavtamily.org के माध्यम से नियमावली एवं शर्तों से सहमत होने पर स्वयं रजिस्ट्रेशन एवं सदस्यता शुल्क जमा करके जुड़ सकते हैं।

भाग A-सदस्य बनने की अर्हता (1-5)

1-उत्तर प्रदेश का नागरिक हो। (देश में किसी भी स्थान पर सेवारत हो, सदस्यता प्राप्त होगी)

2. आयु सीमा 18 वर्ष से 62 वर्ष

(रजिस्ट्रेशन के समय सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम एवं 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)

3-किसी अन्य संस्था से जुड़ा सदस्य भी मानवता फैमिली की सदस्यता प्राप्त कर समस्त लाभ प्राप्त कर सकता है।

4-भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदाकर्मी एवं प्राइवेटकर्मी संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।(नियम 1, 2 ,3 लागू होने पर)

5 उत्तर प्रदेश प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों को सदस्यता प्राप्त होगी। जैसे, कॉरपोरेट सेक्टर के प्राइवेट कर्मी इंजीनियर, डॉक्टर, स्टाफ-नर्स, एडवोकेट, पत्रकार, बैंकिंग स्टाफ, फैक्ट्री- कर्मी, प्राइवेट दुकान - कर्मी, किसान मजदूर व्यवसाय कर्मी, रिक्षा चालक, छात्र, ग्रहणी, आदि।

भाग B-सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया (1-9)

1-सदस्यता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹200 का भुगतान वेबसाइटके माध्यम से करना अनिवार्य होगा । । मानवता फैमिली फाउंडेशन के अकाउंट में भुगतान करके स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन आईडी ,अपनी आईडी में लोड करना होगा । अथवा वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹200 का भुगतान वेबसाइट के पेमेंट गेटवे माध्यम से होगा

2-सदस्यता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क स्वयं के द्वारा,परिवार के सदस्य के द्वारा, मित्र के द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से भी किया जा सकता है।

3-सदस्यता शुल्क रजिस्ट्रेशन करने के दौरान ही जमा करना होगा । अन्यथा आपकी सदस्यता स्वीकार नहीं होगी वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपये 200/-शुल्क अनिवार्य होगा ।

4- वार्षिक सदस्यता शुल्क 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा 1 वर्ष बाद प्रथम वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक को पुनः वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करना होगा ।

5- अधिकतम ग्रेस टाइम 30 दिन का दिया जाएगा । 30 दिन बाद सदस्य वैधानिक एवं वैलिड सदस्य नहीं रहेगा । वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने पर पुनः सदस्यता प्राप्त हो जाएगी

6-वार्षिक सदस्यता रूपये 200/-शुल्क अनिवार्य होगी ।

7-सदस्यता शुल्क जमा करने के दौरान या उसके बाद किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक धनराशि संस्था के खाते में भेज दी जाती है तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर संस्था द्वारा धनराशि भेजे जाने वाले व्यक्ति के खाते में सीधे वेरिफिकेशन के उपरांत प्रेषित करेगी ।

8-सदस्यता शुल्क वार्षिक धनराशि को नेशनल कोर परिवार, नेशनल सलाहकार परिवार, राज्यस्तरीय कोर परिवार, राज्य स्तरीय सलाहकार परिवार से विचार विमर्श के बाद डायरेक्टर टीम द्वारा घटाया और बढ़ाया जा सकता है।

9-मानवता परिवार में सदस्यता किसी अन्य संस्था से जुड़ने,जुड़े रहने,प्रचार प्रसार करने मीटिंग में प्रतिभा करने, सम्मेलन में शामिल होने से प्रभावित नहीं होगी।मानवता परिवार उदारता का परिवार है।

भाग C-सदस्यता समाप्त होने संबंधी नियम (1-7)

1-सदस्य की उम्र 62 वर्ष पूरी होने पर

2-सदस्य पर कोर्ट द्वारा अपराध सिद्ध होने पर

3-संस्था के खिलाफ षड्यंत्र,विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर।

4-सदस्यता रिनुअल करने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रथम वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक से 1 वर्ष से अधिक होने पर 30 दिन का अधिकतम टाइम दिया जाएगा ।

5-वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 30 दिन अधिक होने पर सदस्य वैलिड एवं वैधानिक सदस्य नहीं रहेगा

6-एक्सीडेंटल क्लेम में एक्सीडेंटल इलाज/ परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के कूटरचित दस्तावेज बनाकर लाभ लेने का प्रयास करने पर संस्था द्वारा सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

7-मानवता परिवार में सदस्यता प्राप्त सदस्य किसी अन्य संस्था से जुड़ने, लाभ लेने से,जुड़े रहने,प्रचार- प्रसार करने ,मीटिंग में प्रतिभा करने, सम्मेलन में शामिल होने से मानवता परिवार में सदस्यता एवं लाभ प्रभावित नहीं होंगे। मानवता परिवार उदारता का परिवार।

भाग D-प्राप्त सदस्यता शुल्क खर्च संबंधी नियम (1-7)

1-सदस्यता शुल्क की धनराशि संस्था के संचालन में वेबसाइट डेवलपमेंट में

- 2-कर्मचारियों की सैलरी में,
- 3-ऑफिस एक्सपेंडिचर में,
- 4-मृतक सदस्य , एक्सीडेंटल वेरिफिकेशन में खर्च की जाएगी।

5- एक्सीडेंटल क्लेम

6-धनराशि का प्रयोग मानवता परिवार के वैधानिक सदस्य का एक्सीडेंट होने पर अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे के लिए एडमिट होने पर 100000 रुपए तक खर्च होने पर खर्च होने वाली धनराशि मानवता परिवार द्वारा वेरीफिकेशन के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी

7. दुर्घटना सहायता राशि संस्था के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर ही दी जायेगी।

भाग E- एक्सीडेंटल इलाज सहायता का नियम (1-20)

1-सदस्यता प्राप्त सदस्य का एक्सीडेंट होने पर अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे के लिए एडमिट होने पर 100000 रुपए तक खर्च होने पर खर्च होने वाली धनराशि मानवता परिवार द्वारा वेरीफिकेशन के उपरांत उपलब्ध कराई जाएगी।

2-अस्पताल में इलाज शुरू होने पर परिवार के सदस्य द्वारा सूचना मानवता परिवार को प्रेषित करनी होगी।

3-सदस्यता प्राप्त होने के बाद 30 दिन लॉक इन पीरियड के बाद सहायता प्राप्त होगी।

4-इलाज के दौरान स्वयं, परिवार के सदस्य, अन्य सक्रिय सदस्य, जिला परिवार अथवा ब्लाक परिवार, को मानवता परिवार की वेबसाइट, के माध्यम से सूचना देनी होगी। जिससे समय पर भौतिक सत्यापन मानवता परिवार द्वारा कराया जा सके एवं अति शीघ्र मदद पहुंचाई जा सके।

5- इलाज के दौरान /खत्म होने पर वेबसाइट के माध्यम से मानवता परिवार को जीएसटी बिल सहित निश्चित फॉर्मेट में सूचना उपलब्ध करानी होगी इलाज के बाद सूचना देने पर संघन निरीक्षण के पश्चात जांच टीम की आख्या के आधार पर एक्सीडेंटल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी सहायता

6-संस्था की वेबसाइट के माध्यम से अस्पताल के पर्चे एवं जीएसटी बिल सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी।

7-आवेदन प्राप्त होने के 2 माह के अंदर वेरिफिकेशन के उपरांत वैलिड और इनवैलिड का निर्णय लेकर सदस्य अथवा सदस्य के परिवार को ऑनलाइन / चेक के माध्यम से पेमेंट उपलब्ध कराया जाएगा।

8- एक्सीडेंटलक्लेम का दावा प्रस्तुत करने में एक्सीडेंटल इलाज के कूटरचित दस्तावेज बनाकर लाभ लेने का प्रयास करने पर संस्था द्वारा सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

9- दुर्घटना के मामले में मानवता परिवार सदस्य के माध्यम अपेक्षा करता है की यदि इलाज की धनराशि किसी इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त कर ली हो तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल क्लेम रजिस्ट्रेशन ना करें क्योंकि इस धनराशि का प्रयोग किसी अन्य के सदस्य के काम आ सकता है। लेकिन यदि सदस्य द्वारा एक्सीडेंटल क्लेम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसे नियम के अनुसार सहयोग किया जाएगा।

10-वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक से 1 वर्ष 30 दिन से अधिक होने पर सदस्य वैलिड एवं वैधानिक सदस्य नहीं रहेगा ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल इलाज सहायता संस्था द्वारा नहीं की जाएगी।

11- मानवता परिवार से सदस्यता प्राप्त सदस्य द्वारा मृतक नोमिनी को नियम अनुसार सहयोग नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में सदस्य को एक्सीडेंटल इलाज मानवता परिवार द्वारा नहीं की जाएगी।

12-मानवता परिवार द्वारा साल में सिर्फ एक बार ही एक्सीडेंटल क्लेम का भुगतान कर पाना संभव है।-

13-दुर्घटना सहायता राशि मानवता परिवार के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

14-पर्याप्त धनराशि न उपलब्ध होने का प्रमाण भी मानवता परिवार को उपलब्ध कराएगा

15-अस्पताल में एडमिट रहते ही यदि वैलिड सदस्य का 1 लाख का बिल बन जाता है तो सदस्य को वेबसाइट के माध्यम से एक्सीडेंटल क्लेम जीएसटी बिल सहित प्रस्तुत कर देना चाहिए जिससे कि अति शीघ्र धनराशि उपलब्ध होने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।

16-एक्सीडेंटल में हॉस्पिटल का खर्चा 1 लाख से अधिक आता है तो संस्था द्वारा अधिकतम ₹1लाख की ही मदद की जाएगी

17- अनिर्णीत मामले में नियमानुसार मानवता परिवार के हित एवं सदस्य के हित को देखते हुए नेशनल कोर परिवार/ राज्यस्तरीयकोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर टीम का निर्णय अंतिम होगा

18-एक्सीडेंटल इलाज सहायता वर्ष में एक बार ही एक वैलिड सदस्य को देय होगी

19-मानवता परिवार की सभी योजनाओं में 80% का सहयोग करने वाले वैलिड सदस्य एक्सीडेंट इलाज के लिए पात्र होंगे।

20-सदस्य द्वारा एक्सीडेंटल क्लेम की अधिक धनराशि का दावा प्रस्तुत करने पर मेडिकल टीम द्वारा आकलन के पश्चात वास्तविक धनराशि खाते में प्रेषित की जाएगी।

भाग F - नॉमिनी को सहयोग प्राप्त होने संबंधी नियम (1-21)

1-मानवता परिवार में सदस्यता प्राप्त करने के उपरांत 3 माह (90 दिन का) "लॉक इन पीरियड" रहेगा

तात्पर्य - 1 जनवरी 2025 को सदस्यता प्राप्त करने वाले सदस्य की मृत्यु 31मार्च 2025रात 12:00 तक होती है तो नॉमिनी को सहयोग नहीं प्राप्त होगा किंतु मृत्यु दिनांक 1 अप्रैल2025 को होती है तो नॉमिनी को सहयोग कराया जाएगा

2-लॉक इन पीरियड में मृत्यु होने पर नॉमिनी द्वारा सहयोग दावा नहीं किया जा सकता है लॉक इन पीरियड में सहयोग किया जाने का प्रावधान नहीं होगा

3-मानवता परिवार के पास समय-समय पर नेशनल परिवार, प्रदेश परिवार , जिला परिवार के आग्रह पर लॉक इन पीरियड में परिवर्तन किया जा सकता है।

4- सामान्य बीमारी की स्थिति में सदस्य की मृत्यु पर सहयोग के लिए 90 दिन का लॉक इन पीरियड रहेगा सामान्य बीमारी से तात्पर्य गंभीर बीमारी को छोड़कर । सामान्य बीमारी से मृत्यु की सूची फर्स्ट हार्ट अटैक से मृत्यु, फर्स्ट ब्रेन हेमरेज से मृत्यु, -हीट स्ट्रोक मृत्यु,कोल्ड स्ट्रोक से मृत्यु पथरी की समस्या से मृत्यु, सामान्य ऑपरेशन ऑपरेशन से मृत्यु,प्रसव पीड़ा, प्रसव के ऑपरेशन के दौरान मृत्यु आंख, नाक ,कान, गले,के ऑपरेशन के दौरान मृत्यु (नॉनकैंसर)

5-एक्सीडेंट होने पर इलाज के दौरान हार्ट अटैक,ब्रेन हेमरेज, लिवर इनफेक्शन,फेफड़ों में इन्फेक्शन आदि से मृत्यु होने पर भी सामान्य बीमारी का केस माना जाएगा।

6-गंभीर बीमारी का लॉक इन पीरियड 1 वर्ष होगा। कैंसर,किडनी फेलियर ,लिवर सिरोसिस ,ब्रेन हेमरेज (प्रथम कोछोड़कर) हार्ट अटैक (प्रथम कोछोड़कर),ब्रेन ट्यूमर् फेफड़े का ट्यूमर ,हेपेटाइटिस सी

7-मृत्यु का कारण वेरिफिकेशन एवं जांच की प्रक्रिया के उपरांत गंभीर एवं सामान्य बीमारी का स्पष्ट न होने पर मृतक परिवार के सदस्य के हित को देखते हुए सामान्य बीमारी में रखा जाएगा लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मानवता परिवार के डायरेक्टर का होगा

8-गंभीर बीमारी से पीड़ित सदस्य की मृत्यु यदि दुर्घटना (जैसे सड़क दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, हवाई- जहाज दुर्घटना, आग लगाने, लू लगाने छत से गिरने,झरने ,नदी ,तालाब, समुद्र में झूबने आदि से होती है तो सामान्य दुर्घटना माना जाएगा । गंभीर बीमारी का नहीं ।

9-सदस्य की कैंसर,किडनी लिवर खराब जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज चल रहा हो और गंभीर बीमारी के लॉक इन पीरियड में सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार एवं नॉमिनी द्वारा यदि हार्टअटैक या सामान्य बीमारी से मृत्यु का दावा किया जाता है तो अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित कारण अंतिम साक्ष्य माना जाएगा

10-गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के नॉमिनी द्वारा कारण कुछ और दर्शाया जाता है तो परिवार अथवा नॉमिनी द्वारा दर्शाया गए कारण का सबूत अथवा प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । किंतु मानवता परिवार के पास गंभीर बीमारी के सबूत प्रमाण बयान होने पर सहयोग नहीं होगा । परंतु नियत समय सीमा में टीम सबूत नहीं इकट्ठा कर पाती है तो मृतक परिवार के साक्ष्य के आधार पर नॉमिनी को मानवता परिवार द्वारा सहयोग उपलब्ध कराना बाध्यकारी होगा ।

11-सदस्यता प्राप्त सदस्य को वैधानिक सदस्य बने रहने के लिए संस्था द्वारा जारी किए गए सभी सहयोग निर्धारित समय में करना होगा सहयोग न करने पर सदस्य वैधानिक सदस्य नहीं होगा ऐसी स्थिति में नॉमिनी सहयोग का पात्र नहीं होगा ।

12-सुसाइड जैसे आग लगा लेना, फांसी लगा लेना, छत से कूद जाना, ट्रेन के आगे कूद कर जान देना, आदि प्रूफ प्राप्त होने पर संस्था द्वारा सहयोग नहीं कराया जाएगा ।

13-वैधानिक सदस्य के नॉमिनी अथवा परिवार द्वारा सदस्य का मर्डर, हत्या, छत से फेंक कर मार देने, जहर देने फांसी में लटकने आदि केस में नॉमिनी को सहयोग नहीं किया जाएगा । पुलिस जांच कोर्ट केस में गतिमान केस में सहयोग नहीं होगा । पुलिस जांच एवं कोर्ट केस से निर्णय के आधार पर सहयोग संस्था द्वारा करवाया जाएगा ।

14-वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने के दिनांक से 1 वर्ष से 30 दिन अधिक होने पर सदस्य वैलिड एवं वैधानिक सदस्य नहीं रहेगा ऐसी स्थिति में नॉमिनी सहयोग का पात्र नहीं होगा ।

15-मानवता परिवार से लाभ पाने के लिए मानवता परिवार के सदस्य को मार देने अथवा मरवा देने की पुष्टि होने पर मानवता परिवार द्वारा सहयोग नहीं कराया जाएगा ।

16- मृतक नॉमिनी अथवा परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के केस में सहयोग में से मानवता परिवार द्वारा एक ही सहयोग कराया जा सकता है

17-रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के समय सदस्य बनने वाले व्यक्ति को परमानेंट 100% डिसेबिलिटी ; मृतक नॉमिनी को सहयोग करने अथवा जीवन में वर्तमान स्थिति संबंधी विकल्प को चुनने का अधिकार होगा ।

17-वैधानिक सदस्य द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चुने गए विकल्प के ही आधार पर मानवता परिवार द्वारा अंतिम निर्णय मानकर सहयोग कराया जाएगा

18-वर्तमान स्थिति का विकल्प चुनें जाने पर वैधानिक सदस्य की शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें कि स्वयं निर्णय मानवता परिवार को देने में आसक्षम हो ऐसी स्थिति में सभी नॉमिनी को निर्णय लेने का अधिकार होगा ।

19-मृतक नॉमिनी सहयोग परमानेंट 100% डिसेबिलिटी पर कूट रचित दस्तावेज बनाकर लाभ लेने का प्रयास करने पर संस्था द्वारा सहयोग नहीं किया जाएगा । कूट रचित दस्तावेज बनाकर संस्था में लगाने के लिए, एवं अनुचित लाभ लेने के लिए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी ।

20- अनिर्णीत मामले में नियमानुसार मानवता परिवार के हित एवं सदस्य के हित को देखते हुए नेशनल कोर परिवार/ राज्यस्तरीयकोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर टीम का निर्णय अंतिम होगा

21-मानवता परिवार की सभी योजनाओं में 80% का सहयोग करने वाले वैलिड सदस्य पात्र होंगे ।

भाग G- सदस्य द्वारा सहयोग छूटने संबंधी नियम (1-5)

1-संस्था द्वारा जारी कुल सहयोग का 80% करना अनिवार्य होगा ।

मानवता परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है जो कि लंबे समय से टीम में जुड़ा है जिसने लाक इन पीरियड पूरा कर लिया है । यदि कोई सहयोग छूट जाता है तो मानवता परिवार द्वारा सदस्यता प्राप्त दिनांक से जारी किए गए सहयोग एवं सदस्य द्वारा किए गए कुल सहयोग का 80% अथवा 80% से अधिक होना चाहिए । सदस्य के सहयोग का प्रतिशत 79.60 होता है तो संस्था सहयोग करने के लिए बाध्यकारी होगी । यदि सहयोग का परसेंट 79.5 है तो संस्था द्वारा सहयोग नहीं कराया जाएगा ।

2-मानवता परिवार में सदस्यता प्राप्त करने के उपरांत मानवता परिवार द्वारा जारी मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग लंबे समय तक नहीं करता है। तो सदस्य को कुल सहयोग का 80% पूरा करना कठिन होगा। ऐसी स्थिति में सदस्यता प्राप्त सदस्य पुनः वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन सदस्यता रिनुअलकर सकता है।

3-जैसे -जुलाई में सदस्यता प्राप्त करने के उपरांत मानवता परिवार द्वारा जारी 10 मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग नहीं करता है। और 11 में मृतक नॉमिनी सहयोग से सहयोग करना प्रारंभ करता है तो 80% सहयोग पूरा करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। ऐसी स्थिति में पुनः वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करके रजिस्ट्रेशन एवं सदस्यता रिनुअल कर सकता है।

4-किसी वैधानिक सदस्य की गतिमान सहयोग के दौरान (सहयोग शुरू होने की तिथि से खत्म होने की तिथि तक) मृत्यु होने पर सहयोग करने का पात्र माना जाएगा क्योंकि संस्था द्वारा माना जाएगा कि वह जीवित होते तो पूर्व की भाँति सहयोग करते।

5-अनिर्णीत मामले में नियमानुसार मानवता परिवार के हित एवं सदस्य के हित को देखते हुए नेशनल कोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर टीम का निर्णय अंतिम होगा

भाग M- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग एवं रसीद अपलोड संबंधी नियम-(1-7)

1- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में नॉमिनी को सहयोग सीधे नॉमिनी के खाते में मानवता परिवार के सदस्यों द्वारा कराया जायेगा।

2- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में दावा प्रस्तुत करते समय आवश्यकता अनुसार खाते की डिटेल उपलब्ध करानी होगी।

3-सदस्य द्वारा मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में निर्धारित धनराशि नॉमिनी के खाते में भेज कर ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट को वेबसाइट अथवा ऐप के माध्यम अपलोड से करना अनिवार्य होगा।

4-सदस्य स्वयं के द्वारा परिवार के सदस्य के द्वारा, मित्र के द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से भी सहयोग करवा के रसीद और ट्रांजैक्शन आईडी अपलोड करवा सकता है।

5-नॉमिनी सहयोग के दौरान निर्धारित समय सीमा में सहयोग न हो पाने की स्थिति में सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा निर्धारित समय सीमा में सहयोग न कर पाने की स्थिति में अंतिम अवसर प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वेबसाइट के माध्यम से सहयोग निश्चित समय सीमा में बंद हो जाएगा।

6-नॉमिनी को सहयोग में सदस्य द्वारा कूट रचित /फर्जी रशीद अथवा ट्रांजैक्शन आईडी लोड करने पर वैधानिक सदस्यता समाप्त हो जाएगी एवं सदस्य के नॉमिनी लाभ से वंचित रह जाएंगे

7-सहयोग के दौरान या उसके बाद किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक धनराशि नॉमिनी के खाते में भेज दी जाती है तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वह धनराशि खाते में परिवार की भाँति मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए वापस करना होगा।

भाग I- नॉमिनी संबंधी नियमावली-(1-12)

1-मानवता परिवार के सदस्य को नॉमिनी बदलने का अधिकार होगा। सदस्य को वेबसाइट के माध्यम से नॉमिनी संशोधन पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिनका वेरिफिकेशन करने के उपरांत मानवता परिवार के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

2-मानवता परिवार के सदस्य की मृत्यु होने के उपरांत यदि नॉमिनी संशोधन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो अमात्य होगा।

3-नॉमिनी बनाने का संपूर्ण अधिकार मानवता परिवार के सदस्य को होगा।

4-सदस्य द्वारा बनाए गये नॉमिनी को ही मानवता परिवार सहयोग कराएगा।

5-सदस्य द्वारा एक ही नॉमिनी बनाया जाता है तो केवल एक ही नॉमिनी को सहयोग मानवता परिवार द्वारा प्रदान करवाया जाएगा। मृत्यु के उपरांत नॉमिनी अतिरिक्त किसी को भी सहयोग दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

6-सदस्य द्वारा एक से अधिक नॉमिनी बनाये जाते हैं तो सभी नॉमिनी का मानवता परिवार द्वारा सहयोग कराया जाएगा। जिस पर सभी नॉमिनी का बराबर का अधिकार होगा।

7-एक नॉमिनी होने पर मानवता परिवार द्वारा नॉमिनी के बचत खाते में सहयोग कराया जाएगा।

8-एक नॉमिनी से अधिक होने पर सहयोग से पूर्व सभी नॉमिनी को मिलकर एक संयुक्त बचत(जॉइंट सेविंग अकाउंट) खाता खुलावाना होगा। जिसमें सभी नॉमिनी के हस्ताक्षर से पैसा निकलेगा। जिसमें ही मानवता परिवार की तरफ से सहयोग कराया जाएगा।

9-एक से अधिक नॉमिनी होने पर नॉमिनी सदस्यों द्वारा एक ही नॉमिनी के एकल खाते में सहयोग करवाने हेतु अन्य नॉमिनी को नो ऑब्जेक्शन का एफिडेविट देना होगा।

10-मानवता परिवार में एक ही परिवार के दो सदस्य जुड़े हो। दोनों लोगों ने एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना रखा है तो ऐसी स्थितिमें नॉमिनी को एक ही सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए नॉमिनी बनाते समय ध्यान रखें।

11-सदस्य के द्वारा बनाए गए नॉमिनी के अतिरिक्त परिवार के सदस्य पर सहयोग की गई धन राशि पर कोई अधिकार नहीं होगा।

12- मामले में नियमानुसार मानवता परिवार के हित एवं सदस्य के हित को देखते हुए नेशनल कोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर टीम का निर्णय अंतिम होगा

भाग-J-सूचना संबंधी नियमावली (1-6)

1-मानवता परिवार के प्रत्येक सदस्य को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।

2-मानवता परिवार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना सदस्य के लिए स्वैच्छिक रहेगा लेकिन सदस्य द्वारा यह दावा नहीं किया कि उसे सूचना नहीं प्राप्त हो रही है।

3-वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।

4-मानवता परिवार समूह द्वारा सदस्यों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन **6388890090** जिसमें व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जानकारी आदान -प्रदान किया जाएगा

5-सहायता हेल्पलाइन का समय शुरुआत में सुबह 8:00 बजे से शाम को 8:00 बजे तक रहेगा।

6-संसाधन एवं सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ सहायता हेल्पलाइन को 24×7 कर दिया जाएगा

भाग K- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग संबंधी नियमावली (1-11)

1-सदस्य की मृत्यु/ परमानेंट 100% डिसेबिलिटी/ गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट होने पर 2 माह के अंदर नॉमिनी को वेबसाइट के माध्यम से दावा प्रस्तुत करके आवेदन नंबर प्राप्त कराना होगा।

2-- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग दावा वेबसाइट के माध्यम से परिवार के सदस्य, परिवार के नामिनी, मित्र , मानवता परिवार के स्टाफ द्वारा किया जा सकता है।

3 मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग दावा प्रस्तुत होने के दिनांक से 2 माह में मानवता परिवार मृतक सदस्य एवं नॉमिनी वेरिफिकेशन संबंधी जांच प्रक्रिया को पूर्ण करेगा।

4- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट एवं नॉमिनी वेरिफिकेशन संबंधी जांच प्रक्रिया के उपरांत मानवता परिवार नेशनल कोर परिवार/राज्य कोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर टीम द्वारा वैलिड और इनवैलिड सदस्य होने की सूचना नॉमिनी को उपलब्ध कराएगा

5-वैलिड और इनवैलिड होने का जिक्र पत्र में किया जाएगा।

6- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में सदस्य के वैलिड होने पर मानवता परिवार द्वारा सहयोग कराए जाने का संभावित माह बताया जाएगा।

7-संभावित माह में मानवता परिवार द्वारा सहयोग पूर्ण करवा दिया जाएगा।

8-वैलिड होने पर मृत्यु दावा प्रस्तुत होने के 6 माह के अंदर मानवता परिवार द्वारा सहयोग आवश्यक रूप से करवा दिया जाएगा

9- मृत्यु तिथि/ परमानेंट 100% डिसेबिलिटी/ गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट तिथि तथा आवेदन के अनुसार सहयोग का क्रम रहेगा

10- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट संबंधी दावा देर से प्रस्तुत करने के लिए नॉमिनी स्वयं जिम्मेदार होगा।

11- अनिर्णीत मामले में नियमानुसार मानवता परिवार के हित एवं सदस्य के हित को देखते हुए नेशनल कोर परिवार/राज्यस्तरीयकोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर टीम का निर्णय अंतिम होगा

भाग -L मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग समय एवं धनराशि संबंधी नियम (1-8)

1- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग माह की 25 तारीख से शुरू होकर अगले माह की 5 तारीख तक कराया जाएगा उदाहरण जनवरी माह में होने वाला सहयोग 25 जनवरी2025 से स्टार्ट होकर 5 फरवरी 2025 तक चलेगा।

2- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग के समय एवं धनराशि में नियमानुसार मानवता परिवार के हित एवं सदस्य के हित को देखते हुए नेशनल कोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर टीम समय एवं धनराशि को घटाया और बढ़ाया जा सकता है का निर्णय अंतिम होगा

3-इस दौरान सहयोग न कर पाने वाले सदस्यों के लिए कोई अंतिम अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

4- मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग की तारीख एवं धनराशि की जानकारी मानवता परिवार की वेबसाइट एवं मानवता परिवार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त होती रहेगी।

5-मानवता परिवार के सदस्य को मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग एवं अन्य सूचनाओं के लिए स्वयं अपडेट रहना होगा

6-मृतक नॉमिनी सहयोग/परमानेंट 100% डिसेबिलिटी सहयोग के लिए प्रति सदस्य लगभग ₹200 धनराशि करनी होगी।

7-गंभीर बीमारी/ गंभीर एक्सीडेंट में मानवता परिवार के वर्तमान सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्य द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट तथा बिल के आधार पर मानवता परिवार द्वारा प्रत्येक सदस्य द्वारा की जाने वाली सहयोग धनराशि के लिए निर्णय लिया जाएगा।

8-मानवता परिवार द्वारा प्रत्येक पूल के लिए एक ही मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी का सहयोग कराया जाएगा, किंतु वैलिड पेंडेंसी लिस्ट अधिक होने पर एक से अधिक लोगों का भी सहयोग कराया जा सकता है।

भाग M -मानवता परिवार में पूल संबंधी नियम (1-4)

1-मानवता परिवार में प्रत्येक पूल में सदस्यों की संख्या 30000 से 40000 के बीच रहेगी।

2-मानवता परिवार के सदस्य की आईडी में उसकी पूल संबंधी विवरण प्रदर्शित होता रहेगा।

3-मानवता परिवार के सदस्य की आईडी में दिखने वाले मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में अपने पुल में ही निर्धारित नॉमिनी, वैलिड सदस्य के खाते में ही केवल सहयोग करना होगा अन्य को नहीं।

4-मानवता परिवार द्वारा प्रत्येक पूल के लिए एक ही मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग कराया जाएगा, किंतु वैलिड पेंडेंसी लिस्ट अधिक होने पर एक से अधिक लोगों का भी सहयोग कराया जा सकता है।

भाग N -भ्रष्टाचार संबंधी नियम (1-6)

1. मानवता परिवार को अपने वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक सूचनाओं को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

2. मानवता परिवार के कर्मचारियों और पदाधिकारी, सदस्य को नैतिक मानकों का पालन करना होगा।

3. भ्रष्टाचारी की मानवता परिवार में कोई जगह नहीं होगी। किसी पदाधिकारी सदस्य के द्वारा सहयोग करने के नाम पर पैसे मांगने पर सीधे डायरेक्टर ईमेल टेलीफोन एवं वेबसाइट के माध्यम से शिकायत करें। प्रूफ के रूप में वीडियो एवं वॉइस रिकॉर्ड कलेक्ट करने का प्रयास करें। भ्रष्टाचार करने एवं प्रयास करने वाले पदाधिकारी को जांच के उपरांत सदस्यता एवं पद से निकाल दिया जाएगा।

4. मानवता परिवार को शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित कर कर्मचारियों, पदाधिकारी एवं सदस्यों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा।

5-मानवता परिवार के कर्मचारियों को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना होगा।

6. मानवता परिवार में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत प्रणाली स्थापित की जाएगी

भाग O -सदस्य द्वारा सहयोग अधिक होने संबंधी नियम (1-4)

1-सहयोग के दौरान या उसके बाद किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक धनराशि नॉमिनी के खाते में भेज दी जाती है तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वह धनराशि खाते में परिवार की भाँति मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए वापस करना होगा

2-सदस्य द्वारा गलती से नॉमिनी के खाते में अधिक धनराशि भेजे जाने की वापसी की गारंटी मानवता परिवार नहीं लेता है। किंतु सार्थक एवं पूर्ण प्रयास वापस करवाने हेतुकरेगा।

3-उचित साक्ष्य के रूप में स्क्रीनशॉट ट्रॉनैक्शन आईडी दिनांक और समय उपलब्ध कराना होगा

4-वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में अधिक धनराशि खाते में प्रेषित हो जाने पर मानवता परिवार वापसी की गारंटी लेगा किंतु उचित साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा।

भाग -P परमानेंट 100% विकलांगता संबंधी नियम (1-21)

परमानेंट 100% विकलांगता का मतलब है कि कोई व्यक्ति, बीमारी, चोटों के कारण काम करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक क्षमता इतनी गंभीर हो जाए कि वह अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने में असमर्थ हो जाए और उसे हमेशा के लिए सहायता की आवश्यकता होती है मानवता परिवार द्वारा परमानेंट 100% डिसेबिलिटी माना जाएगा।

1- बीमारी एवं गंभीर चोट के कारण 100 % पूर्ण दृष्टि हानि होने पर। (दोनों आंखों की संपूर्ण रोशनी जाने पर)

2- बीमारी ,गंभीर चोट ,के कारण के कारण दोनों हाथ अथवा दोनों पैर कट जाने की स्थिति में

3-संपूर्ण शरीर लकवाग्रस्त हो जाने की स्थिति में शरीर का कोई अंग कार्य न कर पाने की स्थिति

4-मानसिक विकार एवं न्यूरोलॉजी की ऐसी स्थिति जिसमें संपूर्ण शरीर कार्य करने योग्य ना रहे।

5-एक्सीडेंट अथवा बीमारी के कारण स्पाइनल कॉर्ड की ऐसी स्थिति जिसमें सदस्य बिस्तर से उठकर दैनिक क्रियाकलाप करने में असक्षम हो

6-स्थिति नंबर 1,2,3,4,5 में रजिस्ट्रेशन के समय ग्रसित होने पर मानवता परिवार द्वारा सहयोग नहीं कराया जाएगा

7-परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के केस में 1 वर्ष का लॉकिंग पीरियड रहेगा।

8-बीमारी ,गंभीर चोट, के कारण के कारण दोनों हाथ अथवा दोनों पैर कट जाने की स्थिति में 1 वर्ष के लॉकिंग पीरियड के उपरांत आवेदन करने के पश्चात वेरिफिकेशन के उपरांत घटना होने एवं आवेदन करने के क्रम में सहयोग कराया जाएगा।

9- "बीमारी एवं गंभीर चोट के कारण 100 % पूर्ण दृष्टि हानि होने पर। (दोनों आंखों की संपूर्ण रोशनी जाने पर)"घटना होने के दिनांक से 1 वर्ष तक आंखों की रोशनी का इंतजार किया जाएगा। किंतु आंख ही ना बचाने पर बिना एक वर्ष का इंतजार किए मानवता परिवार द्वारा नियमानुसार सहयोग कराया जाएगा।

10-लकवा ग्रस्त एवं कोमा की स्थिति में एक वर्ष तक इलाज से फायदा होने का इंतजार किया जाएगा। इस दौरान विकलांगता ग्रस्त सदस्य का देहांत हो जाता है तो मृतक नॉमिनी वाला सहयोग कराया जाएगा।

11-परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के केस मानवता परिवार द्वारा डिसेबिलिटी वाले वैधानिक सदस्य अथवा उसकी सहमति पर उसके नॉमिनी के खाते में सहयोग कराया जाएगा।

12-परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के केस में सहयोग अथवा मृतक नॉमिनी सहयोग में से मानवता परिवार द्वारा एक ही सहयोग कराया जा सकता है

13-मानवता परिवार से जुड़े वैधानिक, वैलिड सदस्य को ही परमानेंट 100% डिसेबिलिटी पर सहयोग कराए जाने अथवा वैधानिक सदस्य की मृत्यु पर मृतक नॉमिनी को सहयोग कराए जाने का निर्णय लेने का अधिकार होगा ।

14-वैधानिक सदस्य की शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें कि स्वयं निर्णय मानवता परिवार को देने में सक्षम हो ऐसी स्थिति में सभी नॉमिनी को निर्णय लेने का अधिकार होगा।

15- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के समय सदस्य बनने वाले व्यक्ति को परमानेंट 100% डिसेबिलिटी ; मृतक नॉमिनी को सहयोग करने अथवा जीवन में वर्तमान स्थिति संबंधी विकल्प को चुनने का अधिकार होगा ।

16-- वर्तमान स्थिति का विकल्प चुनें जाने पर वैधानिक सदस्य की शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें कि स्वयं निर्णय मानवता परिवार को देने में सक्षम हो ऐसी स्थिति में सभी नॉमिनी को निर्णय लेने का अधिकार होगा।

17-मानवता परिवार द्वारा परमानेंट 100% डिसेबिलिटी के केस में सहयोग कराए जाने के निर्णय को लेने का कारण ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आमदनी 100% रुक जाती है जिससे कि उसके घर की रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए भी सरकार 1 साल का मेडिकल देती है जिसमें की सैलरी आती है किंतु उसके बाद की स्थिति में बिना वेतन का अवकाश लेना पड़ता है जिसके कारण घर की ज़िम्मेदारियों अपनी दवा की व्यवस्था, घर- परिवार के रोटी कपड़ा मकान बच्चों की पढ़ाई माता-पिता की दवाई की सारी व्यवस्थाएं रुक जाएंगी ।

18-आप सभी के सहयोग से नियमानुसार सहयोग होने के उपरांत यदि परमानेंट 100 डिसेबिलिटी में सहयोग प्राप्त सदस्य के स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है तो यह संपूर्ण टीम के लिए बहुत ही गौरव का विषय होगा।

19-परमानेंट 100% डिसेबिलिटी पर सहयोग पाने वाला वैधानिक सदस्य एवं सदस्य का परिवार सदस्य के जीवित रहते मानवता के आधार पर अन्य लोगों के लिए परमानेंट 100% डिसेबिलिटी पर एवं मृतक नॉमिनी को सहयोग करना चाहिए।

20-मृतक नॉमिनी सहयोग परमानेंट 100% डिसेबिलिटी पर कूट दस्तावेज बनाकर लाभ लेने का प्रयास करने पर संस्था द्वारा सहयोग नहीं किया जाएगा।कूट रचित दस्तावेज बनाकर संस्था में लगाने के लिए, एवं अनुचित लाभ लेने के लिए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।

21-अनिर्णीत मामले में नियमानुसार मानवता परिवार के हित एवं सदस्य के हित को देखते हुए नेशनल कोर परिवार/ राज्यस्तरीयकोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर टीम का निर्णय अंतिम होगा

भाग-Q-गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट संबंधी नियमावली (1-17)

गंभीर बीमारी एवं गंभीर एक्सीडेंट में आपसी सहयोग से मानवता परिवार के वैधानिक सदस्य को एस्टीमेट अथवा खर्च के आधार पर 10 लाख तक की इलाज सहायता उपलब्ध कराना

1 गंभीर बीमारी -कैंसर, लिवर सिरोसिस, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट की सर्जरी, ब्रेन एंड न्यूरो सर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, गंभीर फेफड़ा संक्रमण कोमा ,100% पैरालाइज, को शामिल किया गया है।

2-गंभीर एक्सीडेंट में अंग-भंग, गंभीर विकृति, शरीर के अंगों की स्थायी क्षति, अभिघातजन्य मस्तिष्क चोट, रीढ़ की हड्डी में चोट, स्थायी विकलांगता, कुचले हुए अंग का विच्छेदन, एक्सीडेंट के कारण ब्रेन सर्जरी, न्यूरोसर्जरी स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, कोमा की स्थिति, एक्सीडेंट से संपूर्ण पैरालाइज की स्थिति, को शामिल किया गया है।

3-गंभीर बीमारी के लिए एक वर्ष का लॉकिंग पीरियड तथा गंभीर एक्सीडेंट के लिए 3 महीने का लॉकिंग पीरियड रहेगा।

4- मृतक नामिनी सहयोग, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी सहयोग, गंभीर बीमारी/गंभीर एक्सीडेंट सहयोग में 80% सहयोग करने पर ही सदस्य इस योजना के लिए वैलिड होंगे। 80% से कम सहयोग करने वाले सदस्य इस योजना के पात्र नहीं होंगे। सदस्यता प्राप्त करने के दिनांक से संस्था द्वारा कराए गए कुल सहयोग के आधार पर परसेटेज का आकलन किया जाएगा।

5-ऐस्टीमेटेड धनराशि अथवा इलाज में खर्च हुई धनराशि का सहयोग मानवता परिवार के सदस्यों के माध्यम से होगा। ऐस्टीमेटेड धनराशि अथवा इलाज में खर्च हुई धनराशि यदि 10 लाख से अधिक है। तो संस्था द्वारा अधिकतम 10 लाख तक का ही सहयोग होगा। गंभीर बीमारी और गंभीर एक्सीडेंट में 2 लाख अथवा 2 लाख से अधिक खर्च पर ही सहायता उपलब्ध होगी।

6-सहायता राशि क्योंकि वर्तमान सदस्यों की संख्या दिए गए दान पर निर्भर करेगी। ऐस्टीमेटेड धनराशि एवं बिल धनराशि से कम और ज्यादा हो सकती है इसलिए गंभीर बीमारी/गंभीर एक्सीडेंट से ग्रसित व्यक्ति एवं उसका परिवार तथा अन्य सदस्य 100% खर्च एवं ऐस्टीमेटेड धनराशि का दावा नहीं कर सकता एवं संस्था के ऊपर दबाव नहीं बन सकता। संस्था पूरा प्रयास करेगी की खर्च धनराशि से कम का सहयोग ना हो लेकिन संस्था इसके लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

7-गंभीर बीमारी/ गंभीर एक्सीडेंट सहायता में सदस्य के आने वाले खर्च के अनुसार दान की जाने वाली धनराशि का निर्धारण मानवता परिवार द्वारा किया जाएगा।

8-वैधानिक सदस्य को गंभीर बीमारी एवं गंभीर एक्सीडेंट में इलाज के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसे गंभीर बीमारी सहायता गंभीर एक्सीडेंट सहायता के साथ मृतक नामिनी सहयोग भी किया जाएगा।

9-वैधानिक सदस्य को गंभीर बीमारी एवं गंभीर एक्सीडेंट में इलाज के बाद परमानेंट 100% डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसे गंभीर बीमारी, गंभीर एक्सीडेंट सहायता के साथ परमानेंट 100% डिसेबिलिटी सहयोग भी किया जाएगा।

10-प्रत्येक सदस्य द्वारा दान की जाने वाली धनराशि का निर्धारण गंभीर बीमारी/गंभीर एक्सीडेंट में खर्च हुई धनराशि, जुड़े हुए कुल सदस्यों की संख्या को देखते हुए मानवता परिवार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

11- गंभीर बीमारी में सदस्य की बीमारी डायग्नोसिस होने पर अस्पताल/डॉक्टर द्वारा दिए गए कुल ऐस्टीमेट अथवा इलाज खत्म होने पर बिल के आधार पर वेबसाइट के माध्यम से क्लोम रजिस्ट्रेशन के दिनांक के क्रम में सहयोग किया जाएगा।

12-गंभीर एक्सीडेंट में अस्पताल/डॉक्टर द्वारा दिए गए कुल ऐस्टीमेट अथवा इलाज खत्म होने पर बिल के आधार पर वेबसाइट के माध्यम से क्लोम रजिस्ट्रेशन के दिनांक के क्रम में सहयोग किया जाएगा।

13-अस्पताल एवं डॉक्टर के ऐस्टीमेट के आधार पर सहयोग होने पर इलाज के बाद वैलिड सदस्य अधिक खर्च का दोबारा क्लोम प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि सदस्यों द्वारा दोबारा सहयोग कर पाना संभव नहीं होगा।

14-मानवता परिवार द्वारा निर्धारित धनराशि एवं निर्धारित समय में सदस्यों द्वारा पीड़ित वैधानिक सदस्य के खाते में सीधे अँनलाइन भेज कर ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट अपनी आईडी से लोड करना अनिवार्य होगा । निर्धारित धनराशि एवं निर्धारित समय में पेमेंट करने के उपरांत ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट लोड ना करने पर सदस्य वैधानिक सदस्य नहीं रहेगा।

15- गंभीर बीमारी/गंभीर एक्सीडेंट में मानवता परिवार, सदस्य से आशा करता है की यदि इलाज की धनराशि किसी इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त कर ली हो तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल क्लेम रजिस्ट्रेशन ना करें क्योंकि आपके सहयोग का प्रयोग अन्य सदस्य के लिए किया जा सकता है। जिससे हम सभी को सहयोग का अतिरिक्त भार काम होगा। लेकिन यदि सदस्य द्वारा क्लेम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसे नियम के अनुसार सहयोग किया जाएगा।

16-वैलिड सदस्य इस योजना का लाभ 62 साल तक अधिकतम तीन बार ले सकता है किंतु प्रत्येक सहयोग के बीच में न्यूनतम 3 साल का अंतर होना आवश्यक है। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान का ही खर्च मान्य होगा।

17-गंभीर बीमारी/ गंभीर एक्सीडेंट का सहयोग प्राप्त होने के उपरांत, अन्य वैलिड सदस्यों के लिए होने वाले मृतक नॉमिनी, परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी/गंभीर एक्सीडेंट सहयोग नहीं करता है तो सदस्य वैलिड सदस्य नहीं रहेगा। संस्थाओं की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा। 80% सहयोग पूरा रखने पर सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त होता रहेगा।

भाग -R- मृतक नॉमिनी, एक्सीडेंटल इलाज सहायता ,परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग संबंधी वेरीफिकेशन नियम (1-2)

1- लॉकिंग पीरियड पूरा करने पर मानवता परिवार के मृतक सदस्य का केवल प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर फाइनल रिपोर्ट लगेगी। स्थिति स्पष्ट न होने पर मृतक सदस्य एवं नॉमिनी की वेरीफिकेशन की प्रक्रिया चार स्तरीय होगी।

2- मृतक नॉमिनी, एक्सीडेंटल इलाज सहायता ,परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग संबंधी वेरीफिकेशन प्रक्रिया चार स्तरीय होगी।

a-प्राथमिक जांच रिपोर्ट-

प्राथमिक जांच रिपोर्ट का कार्य मानवता फैमिली के स्टाफ सदस्यों द्वारा किया जाएगा जो की संस्था के लिए ऑफिस में रहकर कार्य भी कर रहे होंगे एवं मानवता फैमिली के सदस्य भी होंगे। इस वेरीफिकेशन प्रक्रिया में वेरीफिकेशनकर्ता द्वारा वेबसाइट के माध्यम से अंकड़े एवं साक्ष्य एकत्र करेंगे जो कीनिम्नवत होंगे-

(I)- सदस्यता प्राप्त करने का प्रथम दिनांक

(II)- सदस्यता प्राप्त करने का अंतिम रेनीवाल दिनांक

(III) सदस्य के सदस्यता प्राप्त दिनांक से मृतक नॉमिनी, एक्सीडेंटल ,परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट होने तक संस्था द्वारा कराए गए कुल सहयोग.....

(IV) सदस्य के सदस्यता प्राप्त दिनांक से मृतक नॉमिनी, एक्सीडेंटल ,परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट दिनांक तक सदस्य द्वारा किए गए कुल सहयोग.....

(V) क्या सदस्य की मृ, एक्सीडेंटल ,परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट किसी सहयोग के दौरान हुई है यदि हां तो दिनांक अंकित करें।.....

(VI) प्रतिशत -सदस्य द्वारा किए गए कल सहयोग (घटना दिनांक तक)/संस्था द्वारा कराए गए कल सहयोग (घटना दिनांक तक)*100

नोट -यदि सदस्य की घटना किसी सहयोग के दौरान हुई है तो तो सदस्य द्वारा किए गए कल सहयोग में एक जोड़ दिया जाएगा ।

(VII) टिप्पणी/आख्या

(VIII)जांच कर्ता अपना नाम और मानवता फैमिली आईडी भी लोड करेगा ।

b-स्थलीय निरीक्षण

(I)-स्थलीय निरीक्षण हेतु पांच सदस्यीय टीम का चयन नेशनल कोर परिवार/ राज्यस्तरीय कोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर द्वारा किया जाएगा।

(II)-पांच सदस्यीय टीम में स्टेट कोर परिवार के मनोनीत एक सदस्य , स्टेट ऑफिस के एक मनोनीत सदस्य तथा जिला कोर परिवार का मनोनीत दो सदस्य ,एक ब्लॉक परिवार का मनोनीत सदस्य,।

(III)-स्थलीय निरीक्षण की पूर्व सूचना सदस्य या नॉमिनी को मात्र एक दिन पूर्व दी जाएगी ।

(IV)-स्थलीय निरीक्षण टीम को निर्धारित प्रारूप में जांच करने का स्वतंत्र अधिकार होगा।

(V)- सदस्य,परिवार के सदस्य, एवं संबंधित व्यक्तियों को जांच में सहयोग करना होगा। सहयोग न करने पर सदस्य लाभ निरस्त किया जा सकता है।

(VI)-आवश्यक होने पर स्थलीय निरीक्षण टीम द्वारा संबंधित अस्पताल एवं जगह का निरीक्षण किया जा सकता । प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लोगों के बयान भी लिए जा सकते हैं।

(VII)-पांच सदस्य निरीक्षण टीम द्वारा जांच आख्या निर्धारित दिनांक में पूरी करके वेबसाइट पर अपलोड करना होगा डॉक्युमेंट एवं वीडियो आदि अपलोड करना होगा।

(VIII) ब्लॉक स्तरीय परिवार, जिला स्तरीय परिवार, राज्य स्तरीय कोर परिवार का मनोनयन न होने पर मानवताफैमिली के डायरेक्टर द्वारा नामित सदस्य स्थलीय निरीक्षण की प्रक्रिया को संपादित करेंगे।

c- मेडिकल आख्या

(I) मानवता परिवार के डॉक्टर टीम द्वारा सदस्य अथवा नॉमिनी द्वारा उपलब्ध करायें गए मेडिकल दस्तावेज की जांच कर आख्या प्रस्तुत करेंगे

(II) नेशनल कोर परिवार/ राज्यस्तरीय कोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर द्वारा तीन सदस्यीय मेडिकल टीम मानवता परिवार के नियुक्ति की जाएगी।

d-फाइनल रिपोर्ट

(I)प्राथमिक जांच रिपोर्ट , स्थलीय निरीक्षण एवं मेडिकल आख्या के आधार पर मानवता परिवार नेशनल कोर परिवार/ राज्यस्तरीय कोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर द्वारा द्वारा वैलिड और इनवैलिड की घोषणा की जाएगी।

(II) मानवता परिवार नेशनल कोर परिवार/ राज्यस्तरीय कोर परिवार की अनुमति से डायरेक्टर द्वारा वैलिड और इनवैलिड होने के कारण सहित पत्र के माध्यम से सदस्य,परिवार के सदस्य को अवगत कराया जाएगा।

(III) पत्र की एक प्रतिलिपि वेबसाइट में अपलोड की जाएगी

(IV) फाइनल जांच रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर नॉमिनी/ सदस्य को पुनःविवेचना करने का अधिकार होगा

भाग -S नियमावली संशोधन संबंधी नियम (1-4)

1-नियमावली में संशोधन वर्ष में एक बार केवल स्थापना दिवस के अवसर पर घोषणा करके किया जाएगा।

2-नियमावली में संशोधन के लिए वेबसाइट के माध्यम आए हुए सुझावों को नेशनल कोर परिवार/ नेशनल सलाहकार परिवार/ नेशनल स्तरीय कानूनी परिवार/ राज्यस्तरीय कोर परिवार /राज्य स्तरीय सलाहकार परिवार/ राज्य स्तरीय कानूनी परिवार के सलाह से व्यवहारिकता को देखते हुए निर्णय डायरेक्टर टीम की अनुमति से लिया जाएगा।

3-साल में बार-बार नियमावली में संशोधन नहीं किया जाएगा।

4-संस्था द्वारा नियमावली में संशोधन का नियम संशोधन दिनांक तक जुड़े हुए सदस्यों पर प्रभावी नहीं होगा। संशोधन दिनांक के बाद जुड़े हुए सदस्यों पर नया संशोधन लागू होगा।

भाग -T पारदर्शिता संबंधी नियमावली (1-7)

1-सदस्यता शुल्क आय-व्यय का विवरण वेबसाइट पर मानवता परिवार द्वारा अपलोड किया जाएगा जिसे प्रत्येक सदस्य देख सकता है।

2-एक्सीडेंटल क्लेम,मृतक नॉमिनी सहयोग ,परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट दावा, वेबसाइट के माध्यम से नॉमिनी अथवा सदस्य करेगा जिसकी सूची बनाती जाएगी जिससे वेबसाइट विजिट करने वाला व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

3-एक्सीडेंटल क्लेम,मृतक नॉमिनी ,परमानेंट 100% डिसेबिलिटी, गंभीर बीमारी /गंभीर एक्सीडेंट सहयोग की सूची अलग-अलग प्रदर्शित होगी।

4-वेरिफिकेशन की संपूर्ण प्रक्रिया वेबसाइट में प्रदर्शित होती **रहेगी** वैलिड सूची और इनवैलिड सूची वेबसाइट में प्रदर्शित होती रहेगी वैलिड होने और इनवैलिड होने का कारण भी वेबसाइट में देखा जा सकता है

5-वैलिड होने और इनवैलिड होने का लेटर नियम सहित वेबसाइट में अपलोड करने के साथ-साथ परिवार के सदस्यों को भेजा जाएगा

6-एक्सीडेंटल क्लेम की धनराशि सीधे सदस्य अथवा नॉमिनी के खाते में प्रेषित की जाएगी की जाएगी ।

7-कंप्लेन और सजेशन सदस्य द्वारा वेबसाइट के माध्यम से ही किया जा सकता है। मानवता परिवार द्वारा की गई कार्यवाही को वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

भाग-V - परिवार (कार्यकारिणी) निर्माण संबंधी नियमावली (1-33)

1-मानवता फैमिली के संचालन हेतु मानवता फैमिली के अंतर्गत नेशनल, राज्य, एवं जिला , तहसील एवं ब्लॉक परिवार का निर्माण किया जाएगा। जिसमें निम्नलिखित परिवार का निर्माण किया जाएगा

A -नेशनल स्तरीय परिवार

- | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1-नेशनल कोर परिवार | 2-नेशनल सलाहकार परिवार | 3-नेशनल संरक्षक परिवार |
| 4-नेशनल सांस्कृतिक परिवार | 5-नेशनल मीडिया परिवार | 6-नेशनल कानूनी परिवार |

B-राज्यस्तरीय परिवार

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1- राज्यस्तरीयकोर परिवार | 2-राज्यस्तरीय सलाहकार परिवार | 3-राज्यस्तरीय संरक्षक परिवार |
| 4-राज्यस्तरीय सांस्कृतिक परिवार | 5-राज्यस्तरीय मीडिया परिवार | 6 राज्यस्तरीय कानूनी परिवार |

C-मण्डलस्तरीय परिवार

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1-मण्डलस्तरीय कोर परिवार | 2-मण्डलस्तरीय सलाहकार परिवार | 3-मण्डलस्तरीय संरक्षक परिवार |
| 4-मण्डलस्तरीय सांस्कृतिक परिवार | 5-मण्डलस्तरीय मीडिया परिवार | 6- मण्डलस्तरीय कानूनी परिवार |

D-जिलास्तरीय परिवार

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1- जिलास्तरीय कोर परिवार | 2-जिलास्तरीय सलाहकार परिवार | 3-जिलास्तरीय संरक्षक परिवार |
| 4-जिलास्तरीय सांस्कृतिक परिवार | 5-जिलास्तरीय मीडिया परिवार | 6- जिलास्तरीय कानूनी परिवार |

E- तहसील स्तरीय परिवार

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1- तहसीलस्तरीय कोर परिवार | 2- तहसीलस्तरीय सलाहकार परिवार | 3- तहसीलस्तरीय संरक्षक परिवार |
| 4- तहसीलस्तरीय सांस्कृतिक परिवार | 5- तहसीलस्तरीय मीडिया परिवार | |

F- ब्लॉकस्तरीय परिवार

- 1- ब्लॉकस्तरीय कोर परिवार 2- ब्लॉकस्तरीय सलाहकार परिवार 3- ब्लॉकस्तरीय संरक्षक परिवार
- 4- ब्लॉकस्तरीय सांस्कृतिक परिवार 5- ब्लॉकस्तरीय मीडिया परिवार
- 2- नेशनल स्तरीय परिवार; राज्य स्तरीय परिवार का चयन मानवता फैमिली फाउंडेशन की नेशनल कोर परिवार की अनुमति एवं सलाह से डायरेक्टर टीम द्वारा मानवता परिवार के प्रति कार्य क्षमता, रेफरल आईडी से सदस्य बनाए गए सदस्यों की संख्या, कार्यों, योग्यता, मानवता परिवार के प्रति समय की उपलब्धता, मानवता परिवार के प्रति समय की उपलब्धता, मानवता परिवार के प्रति समर्पण, रुचि को देखते हुए की जाएगी।
- 3- मंडल स्तरीय परिवार के मनोनयन का अधिकार राज्य स्तरीय टीम के पास होगा जो की संपूर्ण मंडल में सदस्यों के मानवता परिवार के प्रति कार्य क्षमता, रेफरल आईडी से सदस्य बनाए गए सदस्यों की संख्या, कार्यों, योग्यता, मानवता परिवार के प्रति समय की उपलब्धता, मानवता परिवार के प्रति प्रति समर्पण, रुचि को देखते हुए की जाएगी।। किंतु अंतिम घोषणा से पूर्व नेशनल स्तरीय परिवार से अनुमति लेनी होगी।
- 4- जिला स्तरीय परिवारके मनोनयन का अधिकार मंडल स्तरीय टीम के पास होगा जो की संपूर्ण जिला में सदस्यों के मानवता परिवार के प्रति कार्य क्षमता, रेफरल आईडी से सदस्य बनाए गए सदस्यों की संख्या, कार्यों, योग्यता, मानवता परिवार के प्रति समय की उपलब्धता, मानवता परिवार के प्रति प्रति समर्पण, रुचि को देखते हुए की जाएगी।। किंतु अंतिम घोषणा से पूर्व मंडल स्तरीय परिवार को राज्य स्तरीय परिवार से अनुमति लेनी होगी।
- 5- कार्यकारिणी एवं परिवार का हिस्सा मानवता परिवार के वैलिड सदस्य ही हो सकते हैं।
- 6- वैलिड सदस्य ना रहने पर पर कार्यकारिणी अथवा परिवार का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। किंतु दोबारा वैलिड सदस्य हो जाने पर पुनः अवसर दिया जा सकता है।
- 7- जिला स्तरीय परिवार को तहसील स्तरीय परिवार एवं ब्लॉक स्तरीय परिवार के मनोनयन का अधिकार होगा।
- 8-मनोनयन करने वाली टीम सबसे पहले इच्छुक लोगों के आवेदन प्राप्त करेगी। आवेदन प्राप्त होने सदस्यों की गूगल मीट के माध्यम से एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसके आधार पर परिवार बनाने का निर्णय लिया जाएगा। वर्चुअल बैठक एवं गूगल मीट आयोजित करने के दिनांक के सात दिनों में सूची प्रकाशित करनी होगी।
- 9-प्रत्येक परिवार को अपनी जरूरत के हिसाब से विभाग के अनुसार, सामाजिकता के अनुसार, परिवार बनाने का अधिकार होगा। केवल जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर परिवार या टीम का निर्माण नहीं किया जा सकता है
- 10-नेशनल स्तरीय, राज्य स्तरीय, मंडल स्तरीय, जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय परिवार के निर्माण में महिला पुरुष समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित कराना होगा। लेकिन यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो प्राप्त आवेदन के आधार पर ही निर्णय लेना होगा
- 11-प्रत्येक परिवार के लिए जब तक टीम का गठन नहीं हो जाता है तब तक केलिए प्रभारी नियुक्त करके संस्था के कार्यों को संपादित किया जाएगा।प्रभारी के रूप में किए गए कार्यों के आधार पर ही जुझारू कर्मठ समर्पित, योग्यता जोड़े गए सदस्यों के आधार पर को परिवार में स्थान दिया जाएगा
- 12- मनोनयन एवं चयन में किसी प्रकार की समस्या होने पर मनोनयन वाला परिवार वोटिंग करवाकर मनोनयन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। 50% से अधिक वोट पाने वाले सदस्य का मनोनयन किया जाएगा।
- 13- बराबर वोट मिलने पर है हेड एंड टेल के माध्यम से अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
- 14- परिवार में आपसी विवाद होने पर डायरेक्टर का निर्णय अंतिम होगा ।
- 15-प्रत्येक परिवार में न्यूनतम 11 सदस्य एवं अधिकतम 21 सदस्य होंगे।
- 16 -पद – संयोजक (पद की संख्या-1), पद - प्रवक्ता (पद की संख्या-अधिकतम -2), पद -मीडिया प्रभारी (पद की संख्या-अधिकतम -3) पद -सोशल मीडिया प्रभारी (पद की संख्या-अधिकतम -3),पद -सह संयोजक (पद की संख्या-न्यूनतम 4)
- 17-मानवता परिवार में परिवार (कार्यकारिणी/ टीम)समय की उपलब्धता, कार्यक्षमता, संस्था में जोड़े गए सदस्यों की संख्या, समर्पण,रुचि, दायित्व के निर्वहन, तकनीकी जानकारी के आधार पर प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी।

18-समीक्षा के आधार पर पद संयोजक, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, सहसंयोजक में परिवर्तन किया जा सकता है।

19-समीक्षा के आधार पर ब्लॉक स्तरीय परिवार, जिला स्तरीय परिवार, मंडल स्तरीय परिवार, राज्यस्तरीय परिवार एवं नेशनल स्तरीय परिवार में परिवर्तन किया जा सकता है।

20-समीक्षा करने का अधिकार ब्लॉक स्तरीय परिवार के लिए जिला स्तरीय परिवार, जिला स्तरीय परिवार के लिए मंडल स्तरीय परिवार, मंडल स्तरीय परिवार के लिए राज्य स्तरीय परिवार, राज्य स्तरीय परिवार के लिए नेशनल स्तरीय परिवार, नेशनल स्तरीय परिवार के लिए डायरेक्टर टीम को द्वारा किया जाएगा।

21- मानवता परिवार का कोई पदाधिकारी भविष्य में यदि अपना कोई नया मिशन शुरू करता है मानवता परिवार जैसा तो सदस्यता और लाभ प्रभावित नहीं किए जाएंगे परन्तु उसे कार्य मुक्त किया जाएगा। क्योंकि मानवता परिवार के लिए जिम्मेदारियां का निर्वहन करने में पदाधिकारी असमर्थ रहेगी।

22-राज्य स्तरीय परिवार मंडल, स्तरीय परिवार जिला स्तरीय परिवार तहसील स्तरीय परिवार एवं ब्लॉक स्तरीय परिवार को एवं पदाधिकारी को किसी भी प्रकार की धन की उपलब्धता ऑफिस संचालन एवं आने-जाने के लिए नहीं कराएगी। कार्यक्रम करने हेतु धन की उपलब्धता को देखते हुए आर्थिक सहायता की जा सकती है।

23-राज्य स्तरीय परिवार, मंडल स्तरीय परिवार, जिला स्तरीय परिवार, तहसील स्तरीय परिवार एवं ब्लॉक स्तरीय परिवार ऑफिस संचालन के लिए, एवं अन्य मदों के लिए धन की उपलब्धता की समीक्षा 1 वर्ष बाद की जाएगी। समीक्षा के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

24 -पद – संयोजक (पद की संख्या-1)

कार्य- मानवता परिवार में संयोजक के कार्य निम्नलिखित हैं:

(I)- मानवता परिवार के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। मुख्य काम संगठन की बैठकों की अध्यक्षता करना होगा।

(II)- संयोजक परिवार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(III)- मानवता परिवार की परियोजनाओं का प्रबंधन करना, जिसमें परियोजना की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन शामिल है।

(IV)- मानवता परिवार की टीम का प्रबंधन करना, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन शामिल है।

(V)- मानवता परिवार के विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच संचार और समन्वय का काम करना

(VI)- मानवता परिवार के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना, जिसमें बजट तैयार करना, व्यय की निगरानी करना और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

(VII)- मानवता परिवार के लिए नेटवर्किंग और साझेदारी का काम करना, जिसमें सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना शामिल है।

(VIII)- मानवता परिवार की गतिविधियों और परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करना और उनका मूल्यांकन करना।

(IX)- मानवता परिवार के कार्यक्रमों का आयोजन करना, जैसे कि कार्यशालाएं, सम्मेलन, अधिवेशन, प्रशिक्षण कार्यक्रम।

25- पद-प्रवक्ता (पद की संख्या-अधिकतम -2)

कार्य- मानवता परिवार में प्रवक्ता के कार्य निम्नलिखित हैं:

(I)- प्रवक्ता की मुख्य ज़िम्मेदारी या भूमिका मानवता परिवार की ओर से सार्वजनिक आवाज़ प्रदान करना है।

(III)- प्रवक्ता को मुख्य रूप से मानवता परिवार को मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करना। एवं विचारों को रखना। मानवता परिवार से जुड़े हुए सदस्यों की समस्याओं को पत्राचार के माध्यम से उच्च पदाधिकारी को अवगत करना।

(IV)- प्रवक्ता, मानवता परिवार की ओर से बोलने लिए जिम्मेदार होगा। प्रवक्ता मानवता परिवार के सदस्यों की समस्याओं को भी अपनी उच्च टीम तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार होगा।

(V)- प्रवक्ता मीडिया और दूसरे चैनलों के ज़रिए मानवता परिवार के संदेश और मूल्यों को समाज तक पहुंचाना।

(VI)- प्रवक्ता, मानवता परिवार के पदों का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करता है और उनकी वकालत करता है।

(VII)- प्रवक्ता, मानवता परिवार के संकटों को रोकने और उनका सामना करने में मदद करना, प्रवक्ता, संगठन की विश्वसनीयता स्थापित करना।

26- पद -मीडिया प्रभारी (पद की संख्या-अधिकतम -3)

कार्य- मानवता परिवार में मीडिया प्रभारी के कार्य निम्नलिखित हैं:

(I)- मीडिया संबंधों का प्रबंधन: मीडिया प्रभारी का काम है मानवता परिवार के मिशन, विजन और गतिविधियों को मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना।

(II)- प्रेस विज्ञप्तियों का निर्माण: मीडिया प्रभारी प्रेस विज्ञप्तियों का निर्माण करते हैं जो मानवता परिवार की गतिविधियों, परियोजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।

(III)- मीडिया कवरेज का आयोजन: मीडिया प्रभारी मीडिया कवरेज का आयोजन करते हैं जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू आदि।

(IV)- मीडिया मॉनिटरिंग: मीडिया प्रभारी, मीडिया में एनजीओ के बारे में प्रकाशित सामग्री की निगरानी करना है।

27-पद -सोशल मीडिया प्रभारी (पद की संख्या-अधिकतम -3)

कार्य- मानवता परिवार में सोशल मीडिया प्रभारी के कार्य निम्नलिखित हैं:

(I)- सोशल मीडिया प्रभारी, मानवता परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स का प्रबंधन करना, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ड्विटर, इंस्टाग्राम, युटुब आदि।

(II)- सोशल मीडिया प्रभारी, मानवता परिवार के लिए सोशल मीडिया पर प्रकाशित होने वाली सामग्री का निर्माण करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, फोटो आदि।

(III)- सोशल मीडिया प्रभारी, मानवता परिवार की गतिविधियों, परियोजनाओं और उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर प्रचारित करना।

(IV)- सोशल मीडिया प्रभारी सोशल मीडिया पर हितधारकों के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि अनुयायी, समर्थक, दाता आदि।

(V)- सोशल मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया पर मानवता परिवार की प्रतिष्ठा का प्रबंध करना, जिसमें नकारात्मक टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं का जवाब देना शामिल है।

(VI)- सोशल मीडिया प्रभारी सोशल मीडिया पर मानवता परिवार की गतिविधियों का विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना जो मानवता परिवार को अपनी सोशल मीडिया रणनीति में सुधार करने में सहयोग प्रदान करना।

28-पद -सह संयोजक (पद की संख्या-न्यूनतम 4)

कार्य- मानवता परिवार में सहसंयोजक के कार्य निम्नलिखित हैं:

(I)- सहसंयोजक को संयोजक की सहायता करना है और उनके द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा कराना है।

(II)- सहसंयोजक को मानवता परिवार के कार्यक्रमों का आयोजन कराना हैं, जैसे कि कार्यशालाएं, सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(III)- सहसंयोजक को मानवता परिवार की टीम का प्रबंधन करना हैं, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन शामिल है।

(IV)- सहसंयोजक मानवता परिवार के विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच संचार और समन्वय स्थापित करना।

(V)- सहसंयोजक मानवता परिवार के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, जिसमें बजट तैयार करना, व्यय की निगरानी करना और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

(VI)- सहसंयोजक, एनजीओ की गतिविधियों और परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करना और उनका मूल्यांकन करना।

(VII)- सहसंयोजक मानवता परिवार के लिए नेटवर्किंग और साझेदारी का काम करते हैं, जिसमें मानवता परिवार, सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना शामिल है।

29- पद – प्रभारी (पद की संख्या- आवश्यकता अनुसार)

कार्य- मानवता परिवार प्रभारी के कार्य निम्नलिखित है।

(I)- मानवता परिवार के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करना।

(II)- मानवता परिवार के कर्मचारियों का प्रबंधन करना।

(III)- मानवता परिवार के संसाधनों का प्रबंधन करना।

(IV)- मानवता परिवार के बजट का प्रबंधन करना।

(V)- मानवता परिवार के लिए आवश्यक सामग्री और सेवाओं का प्रबंधन करना।

30-मानवता परिवार सलाहकार परिवार के कार्य निम्नलिखित हैं:

(I)- नीतियों और रणनीतियों का निर्माण: सलाहकार परिवार मानवता परिवार की नीतियों और रणनीतियों का निर्माण करने में मदद करना।

(II)- विशेषज्ञता प्रदान करना: सलाहकार परिवार के सदस्य अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करके मानवता परिवार को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना।

(III)- निर्णय लेने में मद्दद करना: सलाहकार परिवार मानवता परिवार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में मद्दद करना, विशेष रूप से महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दों पर।

(IV)- नेटवर्किंग और साझेदारी: सलाहकार परिवार के सदस्य अपने नेटवर्क और संपर्कों का उपयोग करके मानवता परिवार को अन्य संगठनों और हितधारकों के साथ जुड़ने में मदद करना।

(V)- वित्तीय समर्थन: सलाहकार परिवार के सदस्य एनजीओ को वित्तीय समर्थन प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि दान, प्रायोजन और अन्य वित्तीय संसाधनों की पहचान करना।

(VI)- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: सलाहकार परिवार के सदस्य एनजीओ के कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में मदद कर करना।

(VII)- मूल्यांकन और मूल्यांकन रिपोर्ट: सलाहकार परिवार के सदस्य एनजीओ की गतिविधियों और परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना।

31-मानवता परिवार में सांस्कृतिक परिवार के कार्य निम्नलिखित हैं:

- (I)- सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन: सांस्कृतिक परिवार, मानवता परिवार के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना, जैसे कि संगीत, नृत्य, नाटक, प्रदर्शनी आदि।
- (II)- सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण: सांस्कृतिक परिवार, मानवता परिवार के लिए सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, जैसे कि पारंपरिक कला, साहित्य, संगीत आदि।
- (III)- सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन: सांस्कृतिक परिवार, मानवता परिवार के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन करना, जैसे कि सांस्कृतिक यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यशालाएं आदि।
- (IV)- सांस्कृतिक शिक्षा और प्रशिक्षण: सांस्कृतिक परिवार मानवता परिवार, के लिए सांस्कृतिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यशालाएं, सेमिनार आदि।
- (V)- सांस्कृतिक संवाद और सहयोग: सांस्कृतिक परिवार मानवता परिवार, के लिए सांस्कृतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देती है, जैसे कि सांस्कृतिक संगठनों के साथ सहयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आदि।

- (VI)- सांस्कृतिक अनुसंधान और विकास: सांस्कृतिक परिवार, मानवता परिवार के लिए सांस्कृतिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना, जैसे कि सांस्कृतिक अनुसंधान परियोजनाएं, सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम आदि।
- (VII)- सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व: सांस्कृतिक परिवार, मानवता परिवार के लिए सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करना, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, सांस्कृतिक संगठनों के साथ सहयोग आदि।

32-मानवता परिवार मीडिया परिवार के कार्य निम्नलिखित हैं:

- (I)- मीडिया रणनीति का विकास: मीडिया परिवार, मानवता परिवार के लिए मीडिया रणनीति का विकास करना, जिसमें मीडिया कवरेज, प्रेस विज्ञप्तियां, सोशल मीडिया आदि शामिल हैं।
- (II)- मीडिया संबंधों का प्रबंधन: मीडिया परिवार, मानवता परिवार के मीडिया संबंधों का प्रबंधन करना, जिसमें पत्रकारों, संपादकों और अन्य मीडिया पेशेवरों के साथ संबंध बनाना शामिल है।
- (III)- प्रेस विज्ञप्तियों का निर्माण: मीडिया परिवार, मानवता परिवार के लिए प्रेस विज्ञप्तियों का निर्माण करती है, जो एनजीओ की गतिविधियों, परियोजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- (IV)- सोशल मीडिया प्रबंधन: मीडिया परिवार, मानवता परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स का प्रबंधन करना, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट, ट्वीट, फेसबुक अपडेट आदि शामिल हैं।
- (V)- मीडिया कवरेज का आयोजन: मीडिया परिवार, मानवता परिवार के लिए मीडिया कवरेज का आयोजन करना, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू आदि शामिल हैं।
- (VI)- मीडिया मॉनिटरिंग: मीडिया परिवार, मानवता परिवार के बारे में मीडिया में प्रकाशित सामग्री की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार प्रतिक्रिया देती है।
- (VII)- मीडिया रिपोर्टिंग: मीडिया परिवार, मानवता परिवार के मीडिया कवरेज की रिपोर्ट तैयार करना और एनजीओ को अपनी मीडिया रणनीति में सुधार करने में मद्द करती है।

33- मानवता परिवार में कानूनी परिवार के कार्य निम्नलिखित हैं:

- (I)- कानूनी सलाह प्रदान करना: मानवता परिवार को कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करना, जैसे कि संविधान, कराधान, संपत्ति अधिकार आदि।
- (II)- एनजीओ के कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा करना: मानवता परिवार के कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा करना, जैसे कि संविधान, नियमावली, समझौते आदि।

(III)- एनजीओ के कानूनी मामलों का प्रबंधन करना: मानवता परिवार के कानूनी मामलों का प्रबंधन करना, जैसे कि मुकदमेबाजी, समझौते, मध्यस्थता आदि।

(IV)- एनजीओ को कानूनी जोखिमों से बचाना: मानवता परिवार कानूनी जोखिमों से बचाने में मदद करना, जैसे कि अनुबंधों की समीक्षा, कानूनी समझौतों का मसौदा तैयार करना आदि।

(V)- एनजीओ के कानूनी प्रशिक्षण का आयोजन करना: मानवता परिवार के कर्मचारियों और स्वयसेवकों के लिए कानूनी प्रशिक्षण का आयोजन करना, जिससे वे कानूनी मामलों में अधिक जानकारी और कुशल हो सकें।

(VI)- एनजीओ के कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग करना: मानवता परिवार के कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग करना है, जिससे एनजीओ के निदेशक मंडल और अन्य हितधारकों को कानूनी मामलों की जानकारी मिल सके।

